

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में,-

- (i) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 10 में, "3705 10 00" के स्थान पर "3705 00 00" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 2, 3 और 4 पर, सारणी में, कॉलम (2) में, "3705 10 00", जहां-जहां भी यह आया हो, के स्थान पर "3705 00 00" पढ़ें ।

(फाइल संख्या 354/165/2019-टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार